UPBJ010046682026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार–VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP1997

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–1632/2026

कौशिक कुमार बनाम सरकार

मुकदमा अपराध संख्याः–43/2026

धारा–303(2) बी0एन0एस0

थाना–चांदपुर, जनपद बिजनौर।

आवेदक की ओर से श्री विनोद कुमार (मोनू), एडवोकेट,

राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–04.06.2026

1– उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **कौशिक कुमार** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किये किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मौ0 अजीम द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि वादी की पत्नी की डिलीवरी कफील नर्सिंग होम में हुई थी। वादी अपनी पत्नी के लिये दिनांक 20–01–2026 की रात्रि 11:00 बजे चाय देने के लिये गया था। वादी ने मोटर साईकिल जब सुबह 06:00 बजे देखी तो वादी की मोटर साईकिल नहीं खड़ी थी। वादी ने अपनी गाड़ी काफी तलाश की परन्तु कही नहीं मिली। वादी का गाड़ी नं0 UP20BY2274 टी0वी0एस0 एपाचे आर0टी0आर0 160 कम्पनी की है। वादी द्वारा कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना चांदपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध में पंजीकृत हुई।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को गलत व झूठा रंजिश की बिनाह पर फंसाया गया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखायी गयी है। प्रार्थी नामजद एफ0आई0आर0 नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी सजायाफता नहीं है। अभियुक्त दिनांक 04–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्त द्वारा वादी की मोटरसाईकिल चोरी की गयी है। उक्त आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी की मोटरसाईकिल चोरी करने संबंधी आरोप आरोपित किया गया है। उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग चार दिन के विलंब से लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत है एवं अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध

मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा तीन वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 04–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वर्तमान मामले में सह–अभियुक्त अर्पित कुमार की जमानत अन्तर्गत धारा 303(2),317(2),317(5) बी0एन0एस0 में दिनांक 17–02–2026 को अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, बिजनौर के न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है।

7– अतः समानता के आधार पर व अभियुक्त की जेल में निरूद्धता की अवधि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले के गुण दोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **कौशिक कुमार** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–(पचास हजार)** रुपये का निजी बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
04.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.04 16:27:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court